



उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ

आमंत्रण / अपील / निर्देश / अद्यावधिक स्थिति

प्रेषक,

अकशेस सिंह चौहान
प्रदेश महामंत्री

सेवा में,

सम्मानित समस्त अध्यक्ष / सचिव / संयोजक साहबान,
जनपद शाखाएं / उप शाखाएं उ०प्र० लेखपाल संघ

प्रिय आत्मीय जन,

सहर्ष सूचित करना है कि उ०प्र० लेखपाल संघ का 39वाँ वार्षिक सम्मेलन दिनांक 9 फरवरी 2016 दिन मंगलवार प्रातः 10:00 बजे से गांधी प्रेक्षागृह (सभागार) निकट शहीद स्मारक, रेजीडेन्सी के सामने लखनऊ में आयोजित हो रहा है। हम ऐसे सम्मेलनों एवं उत्सवों में एक साथ बैठकर अपनी आत्मीयता एवं उच्च कोटि के आदर्शों का परिचय देकर सेवा में आने वाली विषम परिस्थितियों एवं कठिनाइयों का निवारण आपसी सद्भाव और भाई-चारे से करते हुए संवर्ग के सामाजिक व आर्थिक उत्थान का चिन्तन करते हुए भविष्य की रूपरेखा का सृजन करते हैं। उ०प्र० लेखपाल संघ का एक अलग इतिहास रहा है। आपके अनुशासन एवं कर्तव्य परायणता, संवेदनशीलता की अन्य संगठन भी सराहना करते हैं।

आइये इस पावन पर्व पर हम अपनी महत्वपूर्ण समस्याओं का अध्ययन कर लम्बित समस्याओं के निराकरण के लिए एक बलुन्द आवाज उठाये तथा संगठन को और अधिक गतिशील सुदृढ़ बनाने हेतु संकल्प लें। वर्तमान समय में हम सभी का और अधिक दायित्व है कि कृषकों, मजदूरों विद्यार्थी वर्ग आदि की भलीभांति सेवा करने हेतु संवर्ग की कार्यक्षमताओं में विकास करने के विषय पर गम्भीर चिन्तन मनन करें क्योंकि ग्रामीण जनता से हमारा अति निकट का सम्बन्ध है। सम्मेलन में हम सब संकल्प लें कि लेखपाल संघ का हाथ-किसान, मजदूर, मजलूम के साथ।

हम आशावान हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम के अनुज श्री लक्ष्मण जी की पावन नगरी लखनऊ में अपने सम्मेलन के अवसर पर अधिक से अधिक संख्या में पधार कर दर्शन लाभ देकर उ०प्र० लेखपाल संघ को उचित दिशा देने का सतत प्रयास करेंगे। आपके मार्ग दर्शन के हम प्रबल आकांक्षी हैं। जैसा कि आप भली भांति अवगत हैं कि विगत 38वाँ सम्मेलन स्वर्ण जयन्ती के रूप में दिनांक 22 नवम्बर 2012 को हुआ था। इस अन्तराल में दो अधिवेशन वांछित थे, परन्तु कतिपय प्रशासनिक परिस्थितियोंवश एवं कम व्यय पर अधिक लाभ लेने के सिद्धान्त के फलस्वरूप अधिवेशन आयोजित नहीं किये गये। वर्तमान अधिवेशन माह-नवम्बर में डियू था, परन्तु विगत प्रान्तीय कार्यकारिणी की बैठक दिनांक 20 अगस्त 2015 में सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया था कि पूर्व में किये गये आन्दोलन के परिप्रेक्ष्य में जो लिखित समझौता हुआ है और शासन द्वारा कार्यवृत्त जारी किया गया है, उसमें उल्लिखित बिन्दुओं पर शासनादेश आदि जारी करवाकर व राजस्व निरीक्षक पद पर D.P.C. (पदोन्नति सूची) जारी करवाने के बाद ही सम्मेलन/निर्वाचन करवाया जाये।

उल्लेखनीय है कि विगत समय में उ०प्र० लेखपाल संघ द्वारा सुव्यवस्थित आन्दोलन प्रारम्भ किया गया था, जिसमें कतिपय जनपदों ने सराहनीय भूमिका निभाई किन्तु कुछ जनपदों के कतिपय सदस्यों द्वारा पूर्ण निष्ठा से कार्य न करने के कारण आन्दोलन में वह गति न आ सकी जो आनी चाहिए थी। शीर्षाधिकारियों से वार्ता आमंत्रण व जनपदीय पदाधिकारियों से हुयी वार्ता के उपरान्त जारी कार्यवृत्त प्राप्ति के बाद आन्दोलन स्थगित किया गया। कार्यवृत्त में उल्लिखित समझौते के निर्णय के परिणाम कमशः प्राप्त हो रहे हैं। उक्त आन्दोलन में सम्माननीय सदस्यों के सराहनीय सहयोग के लिए हम आप सभी के सदैव कृतज्ञ रहेंगे।

पूर्व में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद द्वारा चलाये गये प्रदेशव्यापी आन्दोलन में सम्मानित साथियों की मांग पर संस्था द्वारा सक्रिय भूमिका का निर्वहन ही नहीं बल्कि पूर्ण आन्दोलन लेखपाल संघ द्वारा ही चलाया गया किन्तु राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद द्वारा वार्ता में लेखपाल संघ को अलग कर दिया गया। परिणाम स्वरूप हमारी व्यय ऊर्जा के सापेक्ष कुछ प्राप्त नहीं हुआ। साथ ही साथ अपूर्णनीय क्षति की सम्भावना प्रबल हो गई थी जिसे मा० मुख्य सचिव महोदय से वार्ता करके सम्मानित क्षति को रोका गया था, इसलिये भविष्य में सतर्क रहने की आवश्यकता प्रतीत होती है।

राजस्व निरीक्षक पद पर पदोन्नति के लिए पूर्व की व्यवस्था 1:20 के स्थान पर 1:10 की कार्यवाही करवायी गयी, जिससे 1308 नये राजस्व निरीक्षक के पद सृजित किये गये, जिसका शासनदेश 27 मई, 2015 निर्गत हो चुका है, जिसके क्रम में लेखपालों से 1134 राजस्व निरीक्षक पद पर पदोन्नति लोक सेवा आयोग से कर दी गयी है। परिषद स्तर पर जिलों में नियुक्ति की प्रक्रिया शीघ्रता से गतिमान है।

लेखपालों की कमी को देखते हुए संस्था की माँग पर शासनादेश संख्या 1372/1.9.2015-37 दिनांक 24.5.2015 को 5000 पद सृजित कर प्रदेश में रिक्त पदों के अनुरूप 13330 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया अन्तिम चरण में है। भविष्य में लेखपालों के 14000 नये पद सृजित किये जाने के प्रस्ताव पर भी तीव्रगति से प्रक्रिया शासन में विचाराधीन है। लेखपालों के पदों में वर्तमान में भी वृद्धि एवं प्रस्तावित वृद्धि के पदों को मिलाकर संशोधित अनुपात में राजस्व निरीक्षक के पदों के सृजन करने की प्रक्रिया भी निकट भविष्य में सम्पादित होगी।

चक्रवर्ती विभाग को राजस्व विभाग में विलय से आप सभी के प्रयासों से रूकवाने में सफलता प्राप्त हुई है। संस्था और सरकार के मध्य कई बार की वार्ताओं के बाद माननीय मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक दिनांक 23.06.2015 पत्रांक 2284/1.09.2015 रा0 9.7.2015 के क्रम में टैबलेट के स्थान पर लैपटॉप की स्वीकृति हो गयी है। शासन से 10 करोड़ रुपये इस मद में माननीय राजस्व परिषद को आवंटित भी कर दिया है निकट भविष्य में अतिशीघ्र संवर्ग को इस सुविधा का लाभ प्राप्त होगा।

सग्रह अमीनों के नायब तहसीलदार पद पर पदोन्नति को वार्ता करके मा0 मुख्य सचिव महोदय से अपना पक्ष रखकर संस्था को लाभान्वित कराया गया है।

राजस्व निरीक्षक सेवा नियमावली 2014 में संवर्ग के अहितकारी बिन्दुओं को लेकर उसे निरस्त कराने हेतु माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ में रिट याचिका योजित की गयी है, जिसमें सरकार के समय लेने के कारण दिनांक 18.1.2016 नियत है।

सरकार द्वारा संवर्ग के स्थानान्तरण नीति के मण्डल स्तर पर परिवर्तन करने के सम्बन्ध में उच्च स्तरीय वार्ता एवं ज्ञापनों के माध्यम से सफलता न प्राप्त होने की दशा में स्थानान्तरण नीति (सेवा नियमावली में संशोधन) को लेकर संस्था ने माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका योजित की है।

विगत अन्दोलन में मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में लिये गये निर्णय में यात्रा भत्ता, स्टेशनरी भत्ता, विशेष भत्ता एवं विभागीय परीक्षा के माध्यम से 25 प्रतिशत पदों पर पदोन्नति किये जाने की कार्यवाही शासन स्तर पर विचाराधीन है। निकट भविष्य में इन पर परिणाम मिलने की सम्भावना है वर्तमान राजस्व निरीक्षकों की नियुक्ति के पश्चात् शेष पदों पर नियुक्ति हेतु अतिशीघ्र डी0पी0सी करायी जायेगी।

मित्रों मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ कि वेतन का स्लैब कम है इसे बढ़ना चाहिए। इस पर मेरा सार्थक प्रयास रहा है और रहेगा। अखिल भारतीय स्तर पर भी विभिन्न राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठकों में समीक्षा के दौरान केवल दो प्रान्त महाराष्ट्र, हरियाणा, में ग्रेड वेतन 2400 रुपया मिल रहा है तथा उत्तराखण्ड में 2800 रुपयें एवम् शेष प्रान्तों में ग्रेड वेतन एक समान 2000 रुपया दिया जा रहा है। प्रदेश में 1900 रुपया था, जिसे 2000 रुपया सैद्धान्तिक रूप से मानकर शासनादेश जारी कराया गया था, जिसका लाभ भी आप सभी को मिल रहा है। उल्लेखनीय है कि उपरोक्त दो प्रान्तों में लेखपालों के सग्रह कार्य, नहर सींच अंकन, बैंक ऋण वसूली आदि के कार्यों को भी सम्पादित करना पड़ता है। सातवे वेतन आयोग में वर्तमान वेतनमान उच्चीकृत करने हेतु भारत सरकार में प्रत्यावेदन दिया गया है।

उक्त सम्मेलन में मुख्य अतिथि मा0 राजस्व मंत्री जी होंगे। शासन/परिषद के उच्च अधिकारियों सहित दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब आदि के प्रदेश पदाधिकारियों को भी आमंत्रित किया गया है। आप सभी के ठहरने की व्यवस्था गांधी प्रेक्षागृह का ऊपर का हाल तथा दो कमरे एवं छेदी लाल व कन्हैया लाल धर्मशाला आदि सहित अन्य स्थानों पर की गई है। निवास हेतु अपने मण्डल के खण्डमन्त्री से सम्पर्क करके सहयोग प्राप्त करें तथा स्मृति फाइल, बैग व अन्य निर्देश आदि का वितरण भी सम्बन्धित खण्डमन्त्री पूर्ववत् अपने मण्डल के पदाधिकारियों में करेंगे। पत्र के साथ प्रति तहसील 10 व प्रति जनपद 5 पम्पलेट एवं अन्य आवश्यक पत्र प्रेषित किये जा रहे हैं, जिनसे सदस्यों को अवगत करा दें।

सम्मेलन में भाग लेने हेतु विशेष अवकाश घोषित करने के सम्बन्ध में राजस्व परिषद में पत्राचार कर दिया गया है, निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण करके ही मुख्यालय छोड़ें। इस समारोह में कितने सदस्य आयेंगे उसकी सूचना भी तत्काल खण्डमन्त्रियों को देने का कष्ट करें। साथ ही साथ आपके जनपद में प्रदेश के पूर्व पदाधिकारी यदि कार्यरत/सेवानिवृत्त हैं तो उन्हें ससम्मान अपने साथ लावे एवं खण्डमन्त्री को भी सूचना दें। उनका व्यय भार प्रधान कार्यालय स्वयं वहन करेगा। कतिपय जनपदों का संस्था शुल्क अभी भी अवशेष है, जिसे अतिशीघ्र खण्डमन्त्री/संगठन मंत्री/उपाध्यक्ष को भुगतान कर दें तथा अद्यावधिक मतदाता सूची को भी उपलब्ध करा दें। नयी केन्द्रीय समिति का निर्वाचन 10 फरवरी 2016 दिन बुद्धवार समय 9 बजे प्रातः से उपरोक्त स्थान (गांधी प्रेक्षागृह सभागार) पर ही होगा। निर्वाचक मण्डल में श्री जय कृष्णा (दिल्ली) श्री विजय सिंह रोहण (हरियाणा), श्री कुल भूषण मिश्रा (मध्य प्रदेश), संवर्गीय पदाधिकारीगण व प्रेक्षक श्री राजेन्द्र प्रकाश राष्ट्रीय महामंत्री आल इण्डिया पटवारी एण्ड कानूनगो. वेलफेयर एशोसियेशन होंगे।

विशेष-निर्देश

1. निर्धारित समय पर अनिवार्य रूप से उपस्थित हों।
2. सभागार में प्रवेश करने से पूर्व अपने मोबाइल स्वीच बन्द रखना अनिवार्य होगा।
3. वर्ष 2013, 2014, 2015 तक बकाया संस्था शुल्क एवं अद्यावधिक मतदाता सूची दिनांक 09.02.2016 से पूर्व खण्ड मंत्री को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें अन्यथा मतदान में भाग लेना सम्भव नहीं होगा। संस्था शुल्क की विशेष जानकारी हेतु खण्डमंत्री से सम्पर्क करें।
4. अपने उद्बोधन में किसी भी तथ्य को तर्क संगत पूर्ण अनुशासित ढंग से रखें। अनुशासन हीनता कदापि स्वीकार नहीं होगी।
5. सभागार में बिधिक सदस्य/मतदाता ही प्रवेश करें।
6. बाहर से आये हुए अतिथियों के सम्मान में अनुशासन को सुदृढ़ रखें।

खेद है कि अनेक प्रान्तीय कार्य समिति की बैठकों में अपेक्षा के पश्चात् भी संस्थागत एवं जनहित व सदस्यों के हित के प्रस्ताव नहीं प्राप्त हो सके। अपवाद स्वरूप कतिपय सदस्यों ने ही सहयोग किया। फलस्वरूप पूर्व में पारित एवं वर्तमान समय में आवश्यक समझे जाने वाले मांग पत्र को निस्तारण हेतु शासन/परिषद में प्रस्तुत कर दिया गया है।

भारतवर्ष के तमाम प्रान्तों के पदाधिकारी आमन्त्रित किये गये हैं, जिनके विचारों से भी आप सभी को लाभान्वित कराने के साथ-साथ उद्बोधन करने का अवसर सभी को मिले, फिर भी किन्हीं कारणों से अथवा समयाभाव के कारण आपको समय न मिल सके तो मुझे अपनी समस्या/विचार लिपिबद्ध करके दे दें। अन्त में पुनः अनुरोध है कि सम्मेलन में पधार कर अनुशासित ढंग से अपना सहयोग एवं विचार प्रदान करते हुए हमें एक नई स्फूर्ति एवं साहस प्रदान करें जिससे संगठन को और अधिक गतिशील एवं सुदृढ़ बनाकर समस्याओं का निराकरण कराने में सफल हो सके।

सम्मेलन के उपलक्ष्य में आयोजित सभी कार्यक्रम आपके हैं। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में निश्चित रूप से आवास आदि की अव्यवस्थाएं प्रायः कुछ न कुछ हो जाती हैं। अनुरोध है कि दो रात्रि अथवा दो दिन में निश्चित रूप से आपकी दिनचर्या में सुविचारित व्यवस्था न हो पाने के कारण कभी-कभी कष्ट हो जाता है फिर भी आमंत्रण को स्वीकार कर अपनी सहभागिता करते हुए हमारे मनोबल को बढ़ाने का कष्ट करें तथा भ्रामक अफवाहों से सावधान होकर संगठन हित में अपने विवेक का प्रयोग करके संस्था को सुदृढ़ बनाकर हमें कृतार्थ करें। अन्त में आपको विश्वास दिलाते हैं कि प्रदेश नेतृत्व आपके उज्ज्वल भविष्य के लिये सर्वथा कटिबद्ध है। कतिपय लोग संस्था को ट्रेड यूनियन बनाना चाहते हैं तथा सोशल मीडिया के माध्यम से तथा स्वयं को सरकार के नजदीक बताकर विगत वर्षों से भ्रामक प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ऐसे लोगों से भी सावधान रहें।

प्रिय मित्रों निश्चित रूप से इस सम्मेलन के दौरान ही आपको दिनांक 10.02.2016 को अपने एवं अपने प्रिय परिवार के भविष्य के विकास हेतु केन्द्रीय समिति का चयन गोपनीय मतदान के द्वारा करना है। आप सभी से अपेक्षा एवं विनम्र अनुरोध है कि मतदान करने हेतु भाषावाद, क्षेत्रवाद व जातिवाद से हटकर केन्द्रीय समिति का चयन करें जो आपके उत्थान के साथ आपके अधिकारों की रक्षा कर सकें। ऐसे व्यक्तियों का चयन करें जो कम व्यय पर अधिक लाभ दिलाने के साथ-साथ संस्था धन का दुरुपयोग न करें।

धन्यवाद!

हार्दिक सहयोग एवं भाईचारे की भावना के साथ!

अवधेश सिंह चौहान
प्रदेश महामन्त्री

दिनांक: 04 जनवरी, 2016

प्रतिलिपि-समस्त प्रान्तीय पदाधिकारीगण एवं निर्वाचित पूर्व
प्रान्तीय पदाधिकारीगण को सूचनार्थ

✽ सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। ✽